

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी नगरपाली वाराणसी

सेवा में

सदिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 रामगढ़ केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन०ओ०सी० /

/ 2018-19 दिनांक २४।७।२०१८

विषय: सन्‌वीच स्कूल चोलापुर वाराणसी को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश  
हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवन्धों के अधीन  
आपत्ति नहीं है।—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों  
के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैसिक शिक्षा परिषद  
द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं  
लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में  
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेट्रल  
बोर्ड आफ सेकेण्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली/कॉरिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट  
इकाजिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने  
की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से  
प्राप्त अनुदान स्वतं रागार्पा हो जायेगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं  
के कर्मचारियों की अनुमन्य वैतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वैतनमान तथा अन्य भत्तों  
नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर  
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृति का लाभ उपलब्ध कराये  
जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका  
पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

अर्णुन ठार्मान  
Manager  
Sunbeam School  
Cholapur

PRINCIPAL ✓  
SUNBEAM SCHOOL ✓  
CHOLAPUR

७. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्कन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय वह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तब उसका पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथितांत्र वर्ती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभाग पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मददीय

(अजय कुमार हिनेदी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पुस्तक/एनोडसी०/ ९७३।-२७ /2018-19 दिनांक

प्रतीक्षित : निम्नानिलिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक सार्विकी देतु प्रेषित -

१. संचित गांव्यमिक शिक्षा उद्योग शासन लखनऊ।
२. आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी।
३. जिलाधिकारी वाराणसी।
४. शिक्षा निदेशक (मा०) उद्योग लखनऊ।
५. जिला विद्यालय निदेशक वाराणसी।
६. निरीक्षक, आगल भारतीय विद्यालय उद्योग लखनऊ।
७. प्रबन्धक, रानीम रकूल चोलापुर वाराणसी।
८. गार्ड फाइल देतु।

(अजय कुमार हिनेदी)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

मनोदिनी  
Manager  
Sunbeam School  
Cholapur

✓  
PRINCIPAL  
SUNBEAM SCHOOL  
CHOLAPUR

PRINCIPAL  
SUNBEAM SCHOOL  
CHOLAPUR